कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा (मध्यप्रदेश)

// विविध आदेश //

क्रमांक 42/
दो–15–3/90

रीवा, दिनांक 13/04/2023

श्रीमती पद्मा जाटव चतुर्थ जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा का पत्र क्रमांक 30/2023 रीवा दिनांक 11.04.2023 के माध्यम से यह अवगत कराया गया है कि सत्र प्रकरण क्रमांक 165/2020 म0प्र0 राज्य वि0 इन्द्रभान केवट अंतर्गत धारा–376, 452, 323 भा0दं0वि0 का प्रकरण विचाराधीन है। यद्यपि पूर्व में महिलाओं से संबंधित प्रकरणों का अंतरण इस न्यायालय से अन्य न्यायालय में किया गया था, किन्तुं लिपिक की त्रुटिवश यह प्रकरण अंतरित नहीं हो सका। उपरोक्तानुसार लेख करते हुए उक्त न्यायाधीश द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 165/2020 म0प्र0 राज्य वि0 इन्द्रभान केवट अंतर्गत धारा– 376, 452, 323 भा0दं0वि0 का सक्षम न्यायालय में अंतरित किए जाने का निवेदन किया गया है।

कार्यविभाजन आदेश के अनुसार वर्तमान में महिलाओं से संबंधित अपराध के प्रकरणों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार 10वें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा को प्राप्त है।

अतः श्रीमती पद्मा जाटव चतुर्थ जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा के पत्र क्रमांक 30/2023 रीवा दिनांक 11.04.2023 को दृष्टिगत रखते हुए सत्र प्रकरण क्रमांक 165/2020 म0प्र0 राज्य वि0 इन्द्रभान केवट अंतर्गत धारा– 376, 452, 323 भा0दं0वि0 को चतुर्थ जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा के न्यायालय से वापस लिया जाकर विधि अनुसार निराकरण हेतु 10वें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा के न्यायालय में अंतरित किया जाता है।

sd/-
(सुबोध कुमार जैन)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा (म0प्र0)

पृष्ठांकन क्र0 1477/
दो–15–3/90

रीवा, दिनांक 13/04/2023

प्रतिलिपिः–

1. चतुर्थ/10वें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा को निर्देशित किया जाता है कि उक्त प्रकरण यथाशीघ्र संबंधित न्यायालय से प्राप्त/प्रेषित करना/सुनिश्चित करें।
2. प्रस्तुतकार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा (म0प्र0)।
3. अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ रीवा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. सिस्टम ऑफिसर की ओर वेबसाइट में अपलोड किये जाने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।
5. कम्प्यूटर ऑपरेटर कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा को संबंधित न्यायाधीशगण के ई–मेल एड्रेस में भेजने हेतु।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा (म0प्र0)